Date – 7 July 2022

प्लास्टिक के विकल्प: नीति आयोग

- हाल ही में नीति आयोग ने प्लास्टिक के विकल्पों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए 'प्लास्टिक और उनके अनुप्रयोगों के लिए वैकल्पिक उत्पाद और प्रौद्योगिकी' शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सिंगल यूज प्लास्टिक (एसयूपी) पर भी प्रतिबंध लगा दिया है, इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (ईपीए) की धारा 15 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं:

वैश्विक प्लास्टिक उत्पादन और निपटान:

- 1950-2015 के बीच पॉलिमर, सिंथेटिक फाइबर और एडिटिव्स का संचयी उत्पादन 8,300 मिलियन टन था, जिसमें से 55% को सीधे लैंडफिल में या 8% भस्म कर दिया गया था और केवल 6% प्लास्टिक का पुनर्नवीनीकरण किया गया था।
- यदि इसी दर से वर्ष 2050 तक उत्पादन जारी रहा तो इससे 12,000 मीट्रिक टन प्लास्टिक का उत्पादन होगा।

भारत का मामला:

- भारत में सालाना 47 मिलियन टन प्लास्टिक कचरे का उत्पादन होता है, जिसमें से पिछले पांच वर्षों में प्रति व्यक्ति कचरा 700 ग्राम से बढ़कर 2,500 ग्राम हो गया है।
- गोवा, दिल्ली और केरल ने सबसे अधिक प्रति व्यक्ति प्लास्टिक कचरा उत्पन्न किया, जबकि नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा ने सबसे कम प्रति व्यक्ति प्लास्टिक कचरा उत्पन्न किया।

चुनौती:

- विश्व स्तर पर, इनमें से 97-99% प्लास्टिक जीवाश्म ईंधन फीडस्टॉक्स से प्राप्त होते हैं, जबकि शेष 1-3% जैव (प्लांट) आधारित प्लास्टिक है।
- इस प्लास्टिक कचरे के केवल एक छोटे से हिस्से का ही पुनर्चक्रण किया जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि इस कचरे का अधिकांश हिस्सा विभिन्न प्रदूषणकारी मार्गों के माध्यम से पर्यावरण में निष्कासित कर दिया जाता है।
- भारत अपने प्लास्टिक कचरे का केवल 60% एकत्र करता है और शेष 40% बिना एकत्र किए रहता है जो सीधे पर्यावरण में कचरे के रूप में प्रवेश करता है।
- प्लास्टिक का लगभग हर टुकड़ा जीवाश्म ईंधन के रूप में शुरू होता है, और ग्रीनहाउस गैसें (जीएचजी) प्लास्टिक जीवनचक्र के **प्रत्येक चरण में उत्सर्जित होती हैं:**
    - जीवाश्म ईंधन निष्कर्षण और परिवहन
    - प्लास्टिक शोधन और विनिर्माण
    - प्लास्टिक कचरे का प्रबंधन
    - महासागरों, जलमार्गों और विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र परिदृश्यों पर प्रभाव

पहल:

- अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सबसे पसंदीदा विकल्प अपशिष्ट में कमी है। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को अपनाने के लिए समय सीमा में ढील देते हुए, विस्तारित निर्माता

उत्तरदायित्व (ईपीआर), उचित लेबलिंग और खाद और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के संग्रह के माध्यम से अपशिष्ट कमी अभियान को मजबूत करें।

- उभरती हुई तकनीकों का विकास करना, उदाहरण के लिए एडिटिव्स जो प्लास्टिक को पॉलीप्रोपाइलीन और पॉलीइथाइलीन जैसे बायोडिग्रेडेबल पॉलीओलेफ़िन में बदल सकते हैं।

जैव प्लास्टिक के उपयोग:

- प्लास्टिक के किफायती विकल्प के रूप में।
- अनुसंधान एवं विकास और विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहित करना।
- जवाबदेही तय करने और हरित धुलाई से बचने के लिए अपशिष्ट उत्पादन, संग्रह, पुनर्चक्रण या वैज्ञानिक निपटान के प्रकटीकरण में पारदर्शिता बढ़ाना।
- ग्रीनवाशिंग कंपनी के उत्पाद पर्यावरण की दृष्टि से किस प्रकार सही हैं, इस बारे में भ्रामक जानकारी प्रदान करने की एक प्रक्रिया है।

प्लास्टिक विकल्प:

काँच:

- खाद्य और तरल पदार्थों की पैकेजिंग और उपयोग के लिए ग्लास हमेशा सबसे सुरक्षित और सबसे व्यवहार्य विकल्प रहा है।
- कांच को कई बार पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है, इसलिए यह लैंडफिल में समाप्त नहीं होता है। इसकी स्थायित्व और पुन: प्रयोज्यता को देखते हुए यह लागत प्रभावी है।

खोई:

- कम्पोस्टेबल पर्यावरण के अनुकूल खोई डिस्पोजेबल प्लेट कप या बॉक्स के रूप में प्लास्टिक की आवश्यकता को समाप्त कर सकती है।
- गन्ने या चुकन्दर से रस निकालने के बाद बचे हुए गूदे से खोई बनाई जाती है, इसका उपयोग जैव ईंधन जैसे अन्य उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है।

बायोप्लास्टिक्स:

- प्लांट-आधारित प्लास्टिक, जिसे बायोप्लास्टिक्स के रूप में जाना जाता है, को जीवाश्म ईंधन-आधारित प्लास्टिक के हरित विकल्प के रूप में देखा जाता है, खासकर जब खाद्य पैकेजिंग की बात आती है।
- लेकिन बायोप्लास्टिक का अपना पर्यावरण पदचिह्न है, जिसके लिए फसल उगाने और भूमि और पानी का उपयोग करने की आवश्यकता होती है।

- बायोप्लास्टिक को उतना ही हानिकारक माना जाता है और कुछ मामलों में पारंपरिक प्लास्टिक की तुलना में अधिक हानिकारक माना जाता है।

प्राकृतिक कपड़े:

- प्रत्येक धोने के साथ लाखों छोटे प्लास्टिक के रेशे बहाए जाते हैं, जिससे पॉलिएस्टर और नायलॉन कपड़े को बदलने की बात आती है जब कपास, ऊन, लिनन और भांग पारंपरिक पसंद बनाते हैं।
- कपास का उत्पादन पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहा है।

रिफिल, पुन: उपयोग और अनपैक्ड खरीद:

- कम से कम हानिकारक पैकेजिंग वह है जिसे बार-बार इस्तेमाल किया जा सकता है या बिल्कुल नहीं।
- फलों और सब्जियों आदि के लिए पुन: प्रयोज्य कपड़े के थैले।
- मांस, मछली, पनीर आदि के लिए पुन: प्रयोज्य कंटेनर और बक्से।
- तेल और सिरका के लिए रिफिल करने योग्य बोतलें और जार, सफाई तरल पदार्थ आदि।
- पन्नी और क्लिंगफिल्म के बजाय बीसवैक्स लपेटना।

स्वदीप कुमार

उपराष्ट्रपति का चुनाव

- हाल ही में चुनाव आयोग ने अगस्त 2022 में होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव की घोषणा की।

उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान:

- उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय है। वह पांच साल की अवधि के लिए कार्य करता है, लेकिन वह कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद पद पर तब तक बना रह सकता है जब तक कि उत्तराधिकारी द्वारा कार्यालय नहीं ले लिया जाता।
- उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देकर पद से इस्तीफा दे सकता है जो उस दिन से प्रभावी हो जाता है जिस दिन इस्तीफा स्वीकार किया जाता है।
- उपराष्ट्रपति को राज्य परिषद (राज्य सभा) के एक प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है, जिसे बाद में लोकसभा द्वारा आवश्यक सहमति के साथ उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। इस आशय का प्रस्ताव इस प्रयोजन के लिए कम से कम 14 दिनों का नोटिस देकर ही पेश किया जा सकता है।
- उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद (राज्य सभा) का पदेन अध्यक्ष होता है और उसके पास कोई अन्य लाभ का पद नहीं होता है।

योग्यता:

- भारत का नागरिक होना चाहिए।
- 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो।
- राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए पात्र होना चाहिए।
- केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन लाभ का कोई पद धारण नहीं करना चाहिए।

निर्वाचक मंडल:

- भारत के संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार, उपराष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों द्वारा किया जाता है।

निर्वाचक मंडल के सदस्य:

- राज्य सभा के निर्वाचित सदस्य।
- राज्य सभा के मनोनीत सदस्य।
- लोकसभा के निर्वाचित सदस्य।

चुनाव प्रक्रिया क्या है?

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 68 के अनुसार, पद की समाप्ति के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए चुनाव निवर्तमान उपराष्ट्रपति की अवधि समाप्त होने से पहले पूरा किया जाना चाहिए।

- उपराष्ट्रपति के चुनाव के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 और संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत भारत के चुनाव आयोग में निहित है।
- निर्वाचन के लिए अधिसूचना निवर्तमान उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने के साठ दिन पहले या उसके बाद जारी की जाएगी।
- चूंकि निर्वाचक मंडल के सभी सदस्य संसद के दोनों सदनों के सदस्य हैं, संसद के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य समान होगा अर्थात 1 (एक) ।
- चुनाव आयोग, केंद्र सरकार के परामर्श से, लोकसभा और राज्य सभा के महासचिव को बारी-बारी से रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त करता है।
- तदनुसार, महासचिव, लोक सभा को भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यालय के वर्तमान चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
- आयोग ने रिटर्निंग अधिकारी की सहायता के लिए संसद भवन (लोकसभा) में एक सहायक रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति करने का भी निर्णय लिया है।
- राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव नियम, 1974 के नियम 8 के अनुसार, चुनाव के लिए मतदान संसद भवन में होगा।

स्वदीप कुमार

YOJNA IAS